प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस,
कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

दिनांकः 29 फरवरी, 2024

पत्रांकः 919 /एल0बी0सी0–2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (**N.G.T**) में योजित ओ0ए0 संख्या–645/2023 ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 08–01–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 आयोग के समक्ष गत सुनवाई दिनांक 08–01–2024 को मा0 आयोग द्वारा पारित निम्नवत् आदेश क सुसंगत अंश संज्ञान लेने का कष्ट करें–

"....1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one Mr. Lalit Kumar Jain resident of Nehru Road, Baraut, Baghpat. In the letter petition the complaint is in respect of discharge of sewage in the irrigation canal known by the name of Rajwahe. It is stated that the said irrigation canal flows from Baraut and goes to different villages and the water of this canal is used for the irrigation purposes but the Municipal Corporation, Baraut is discharging the effluents from several drains in the canal as a result of which the water of the canal has become poisonous and health hazard has been created to the residents and cattle. It is also stated that there is a proposal for discharge of the drain water from the drains to be constructed on both side of Binauli Road in the canal.

2. Letter petition raises substantial issues relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to implead the following respondents and issue notice to them:- (1) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), (2). District Magistrate, Baghpat and (3). Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat.

3. Let the notice be served upon the above respondents. Respondents are directed to file their response atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.

4. List on 06.03.2024...."

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के उपरोक्त आदेश के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़ौत एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ से संयुक्त निरीक्षण कराकर संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़ौत से अनुपालन आख्या प्राप्त की गयी।

अतः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़ौत एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ की संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद संलग्न कर मा0 न्यायालय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

29.02.24

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–1–क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोदीपुरम मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु
2–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बडौत, जनपद बागपत को उपरोक्त की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नामित अधिवक्ता के माध्यम से अद्यतन अनुपालन आख्या (**ATR**) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)

दिनांक – 28-02-2024

पत्रांक 290/2023 -24 / स्वा० विभाग

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)
बागपत ।

विषय – मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में योजित ओ०ए० संख्या 645/2023 ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पारित आदेश दिनांक 08-01-2024 के अनुपालन में ।

उपरोक्त विषयक मा० जिलाधिकारी बागपत के कार्यालय पत्रांक 870/LBC-2024 दिनांक 24 फरवरी 2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है -

1. आख्या - उक्त बिंदु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर बडौत की सीमान्तर्गत स्थित मीरपुर रजवाहा 1-3 किलोमीटर तक घनी आबादी क्षेत्र से निकलता है । सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सिजनली उक्त राजवाहे की सफाई का कार्य कराया जाता है । आम नागरिको को राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाये गए है । समय – समय पर राजवाहे की पटरी व् सम्बंधित आबादी में राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु मुनादी करायी जाती है. पालिका द्वारा उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड नंबर 19–20 में डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी संख्या UP17AT9467 चालक श्री हरदीप आउटसोर्स कर्मचारी व् वार्ड नंबर 10-14 टेम्पो नंबर UP17AT9455 चालक मनीष आउटसोर्स कर्मचारी एवं वार्ड संख्या 18 में टेम्पो नंबर UP17AT0207 चालक श्री अश्वनी आउटसोर्स कर्मचारी वार्ड नंबर 17 में गाड़ी संख्या UP17AT9466 चालक श्री रोहित आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जाता है । जिसका सुपरविज़न श्री सुशील कुमार सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, श्री सतेन्द्र देव सिंह धिराना एवं श्री अंकित शर्मा आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 4 सफाई कर्मी उक्त वार्डो / क्षेत्र में हाथ रेहडे के द्वारा डोर टू डोर एकत्र का कार्य करते है ।
2. आख्या - उक्त बिंदु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आम नागरिको को राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड लगवाये गए है । समय समय पर राजवाहे की पटरी व सम्बंधित आबादी में राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु मुनादी करायी जाती है । इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि राजवाहे पर चिन्हित पांच स्थानों 01- मजदूरो वाला पुल 02- गाँधी रोड पुल 03- नेहरु रोड पुल 04- गुराना रोड पुल 05- सराय रोड पुल पर स्क्रीनिंग जाली लगाई गयी है ।

3. आख्या - उक्त बिंदु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केनाल रोड की पटरी की नियमित सफाई करायी जाती है. सफाई उपरान्त एकत्र कूड़े को हाथ ठेली द्वारा उठवाकर प्राथमिक कूड़ा कलेक्शन केंद्र पर भेजा जाता है. सम्बंधित सफाई नायको को राजवाहे में गोबर प्लास्टिक आदि कचरा डालने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित कर दिया गया है. राजवाहे की सफाई हेतु एक जे०सी०बी० मशीन द्वारा सप्ताह में 05 दिवस 02 घंटे प्रतिदिन सफाई कार्य हेतु आदेशित कर दिया गया है।

4. आख्या - उक्त बिंदु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पालिका द्वारा नगर क्षेत्र बडौत से निकलने वाले मीरापुर राजवाहे में बायोलॉजिकल विधि द्वारा बायो रेमीडीयेशन कार्य कराया जा रहा है। निकट भविष्य में अमृत योजना के अंतर्गत नगर बडौत में सीवर लाइन तथा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना का कार्य कराया जायेगा।

आख्या सादर प्रेषित है।

28/02/2024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)

दिनांक – 28-02-2024

पत्रांक 290 /2023 -24 / स्वा० विभाग

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)
बागपत।

विषय – मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) में योजित ओ०ए० संख्या 645/2023 ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पारित आदेश दिनांक 08-01-2024 के अनुपालन में।

उपरोक्त विषयक मा० जिलाधिकारी बागपत के कार्यालय पत्रांक 870/LBC-2024 दिनांक 24 फरवरी 2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या तैयार (संलग्न) कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 645/2023, ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 के अनुपालन में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागपत के कार्यालय पत्रांक 870/एलबीसी–2024, दिनांक– 24.02.2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. निर्देश बिन्दु 01 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर बडौत की सीमान्तर्गत स्थित मीरपुर रजवाहा 1–3 किलोमीटर तक घनी आबादी क्षेत्र से निकलता है। सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सीजनली उक्त राजवाहे की सफाई का कार्य कराया जाता है। आम नागरिको को राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाये गए हैं। राजवाहे की पटरी व सम्बंधित आबादी में राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु मुनादी करायी जा रही है। पालिका द्वारा उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड नंबर 19–20 में डोर–टू–डोर कूड़ा गाड़ी संख्या UP17AT9467 चालक श्री हरदीप आउटसोर्स कर्मचारी व् वार्ड नंबर 10–14 टेम्पो नंबर UP17AT9455 चालक मनीष आउटसोर्स कर्मचारी एवं वार्ड संख्या 18 में टेम्पो नंबर UP17AT0207 चालक श्री अश्वनी आउटसोर्स कर्मचारी वार्ड नंबर 17 में गाड़ी संख्या UP17AT9466 चालक श्री रोहित आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। जिसका सुपरविजन श्री सुशील कुमार सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, श्री सतेन्द्र देव सिंह धिराना एवं श्री अंकित शर्मा आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 सफाई कर्मी उक्त वार्डो/क्षेत्र में हाथ रेहडे के द्वारा डोर–टू–डोर एकत्र का कार्य करते हैं।
2. निर्देश बिंदु 02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आम नागरिको को राजवाहे में कूड़ा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड लगवाये गए है। साथ यह भी अवगत कराना है कि राजवाहे पर चिन्हित पांच स्थानों 01– मजदूरो वाला पुल 02– गाँधी रोड पुल 03– नेहरु रोड पुल 04– गुराना रोड पुल 05– सराय रोड पुल पर स्क्रीनिंग जाली लगाई गयी है।
3. निर्देश बिंदु 03 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केनाल रोड की पटरी की नियमित सफाई करायी जाती है. सफाई उपरान्त एकत्र कूड़े को हाथ ठेली द्वारा उठवाकर प्राथमिक कूड़ा कलेक्शन केंद्र पर भेजा जा रहा है। सम्बंधित सफाई नायको को राजवाहे में गोबर प्लास्टिक आदि कचरा डालने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित कर दिया गया है। राजवाहे की सफाई हेतु एक जे०सी०बी० मशीन द्वारा सप्ताह में 05 दिवस 02 घंटे प्रतिदिन सफाई कार्य हेतु आदेशित कर दिया गया है।
4. निर्देश बिंदु 04 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पालिका द्वारा नगर क्षेत्र बडौत से निकलने वाले मीरापुर राजवाहे में बायोलॉजिकल विधि द्वारा बायो रेमीडीयेशन कार्य कराया जा रहा है। निकट भविष्य में अमृत योजना के अंतर्गत नगर बडौत में सीवर लाइन तथा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना का कार्य कराया जायेगा।

आख्या सादर प्रेषित है।

28/2/24

सहायक पर्यावरण अभियंता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

28/02/2024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत,
बागपत।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत

दिनांक – 24-02-2024

पत्रांक 188 /2023–24 / स्वास्थ्य विभाग

–:आदेश:–

1. श्री पिंकीराम
   का0 सफाई नायक
2. श्री नरेन्द्र त्यागी
   आउटसोर्स का0 सुपरवाईजर
3. श्री विकास कुमार
   आउटसोर्स का0 सुपरवाईजर
   नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत के पत्रांक सं0 870 / एल0बी0सी0– 2024 व मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) में योजित ओ0ए0 संख्या–645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 08–01–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने–अपने क्षेत्रो में मीरापुर रजवाहे की ठोस अपशिष्ट की सफाई कराते हुए रजवाहे में कुडा प्लास्टिक गोबर डालने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर सूची अन्दर 03 दिवस उपलब्ध कराये तथा प्रतिदिन अपने क्षेत्रो में मीरापुर रजवाहे में की सफाई कराते हुए 02 फोटो जी0पी0एस0 कैमरे के माध्यम से लेकर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

आदेश तत्काल प्रभावी हो।

अधिशासी अधिकारी
24/02/2024
नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत

दिनांक – 24.02.2024

पत्रांक 189 /2023–24/स्वास्थ्य विभाग

श्री राहुल कुमार
आउटसोर्स चालक
नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत के पत्रांक सं0 870/एल0बी0सी0– 2024 व मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) में योजित ओ0ए0 संख्या–645/2023 ललित कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 08–01–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप सोमवार से बृहस्पतिवार सुबह 07 बजे से सुबह 09 बजे तक जे0सी0बी0 द्वारा मीरापुर रजवाहे की निम्नानुसार –

1. सोमवार बुढाना रोड की पुलिया से मजदूरो वाले पुल तक
2. मंगलवार मजदूरो वाले पुल से गाँधी रोड के पुल तक
3. बुधवार गाँधी रोड के पुल से नेहरू रोड के पुल तक
4. बृहस्पतिवार नेहरू रोड के पुल से गुराना रोड के पुल तक
5. शुक्रवार गुराना रोड के पुल से सराय रोड के पुल तक

सफाई कराते हुए 02 फोटो जी0पी0एस0 कैमरे के माध्यम से लेकर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

24/02/2024
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बड़ौत (बागपत)।

ANX-3

पत्रांक :- 77 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय / निर्माण

दिनांक:- 30-01-2024

कार्य आदेश पत्र

1. **फर्म का नाम :-** Greenway Technologies, Vasundhra, G-9, ML-2, Gaur Empire, Sector-11, Ghaziabad U.P. – 201012, Email :- greenwaytechnologies@gmail.com.
2. **कार्य का नाम :-** नगर पालिका परिषद बडौत की सीमान्तर्गत मीरापुर राजवाहे का बायोलोजिकल विधि द्वारा बायोरेमिडियेशन का कार्य।

स्वीकृत धनराशि :- 97250/- रुपये जी0एस0टी0 सहित प्रति 10 दिन हेतु।

उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी कुटेशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29-01-2024 को कोटेशन दर पर स्वीकृत कर दी गयी है। अतः आपको उपरोक्त कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व कार्य प्रारम्भ करने से पहले का फोटो एवं कार्य समाप्त होने का फोटो बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद बडौत।

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory
(A GOVERNMENT APPROVED LAB)
Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001
email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph.: 9911516076, 9811736063

ISO 45001

ANX-41

TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1847-6/02/2024

DATE OF REPORT: 08.02.2024

WASTE WATER SAMPLE ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer	:	M/s, EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT, BAGPAT
Date of Sampling	:	03.02.2024
Analysis Start Date	:	05.02.2024
Analysis End Date	:	08.02.2024
Sample ID No	:	1847-6
Sampling Done By	:	ETS STAFF
Sampling Description	:	BEFORE TREATMENT
Sampling Location	:	MEERAPUR RAJWAHA (AMINAGAR SARAI ROAD CULVERT) WITHIN BOUNDARY NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT
Sampling Method	:	ETS/STP/WATER-02
Sample Quantity	:	2.0 Ltr.
Packing Condition	:	SEALED
Packed In	:	P.V.C. CANE

S. No.	Test Parameter	Unit	Result	Test Method
1	pH	...	7.6	APHA 4500-H+
2	Total Suspended Solids,(TSS)	mg/L	122.0	APHA 2540-D
3	Oil & Grease, (O & G)	mg/L	1.4	APHA 5520-D
4	Biological Oxygen Demand(BOD_{3}, 27°C)	mg/L	88.0	IS: 3025 (Part-44)
5	Chemical Oxygen Demand,(COD)	mg/L	290.0	APHA 5220-B

*****End of Test Report*****

CHECKED BY
SHRADDHA GUPTA

For Enviro-...

AUTHORIZED SIGNATORY
Pushkar ...
Lab In-charge

Format No ETS/LAB/TR-10, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

Sr. No.	Sampling Point	Date of Sampling	Colour	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)
1	Meerapur Rajwaha Baraut U/S	14.02.2024	Greyish	7.56	48	204	107
2	Meerapur Rajwaha Baraut D/S	14.02.2024	Greyish	7.67	52	216	112

19-2-24 LA

19.02.2024 JRF

19.02.24 JRF

Regional Officer
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Meerut

Item No. 01

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 645/2023

Lalit Kumar Jain

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent

Date of hearing: 08.01.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one Mr. Lalit Kumar Jain resident of Nehru Road, Baraut, Baghpat. In the letter petition the complaint is in respect of discharge of sewage in the irrigation canal known by the name of Rajwahe. It is stated that the said irrigation canal flows from Baraut and goes to different villages and the water of this canal is used for the irrigation purposes but the Municipal Corporation, Baraut is discharging the effluents from several drains in this canal as a result of which the water of the canal has become poisonous and health hazard has been created to the residents and cattle. It is also stated that there is a proposal for discharge of the drain water from the drains to be constructed on both side of Binauli Road in the canal.

2. Letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to implead the following respondents and issue notice to them ;-

(1). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB),
(2). District Magistrate, Baghpat and

(3). Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat.

3. Let the notice be served upon the above respondents. Respondents are directed to file their response atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. List on 06.03.2024

5. A copy of this order, along with a copy of the petition, be forwarded to the Member Secretary, UPPCB, District Magistrate, Baghpat and Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

January 08, 2024
Original Application No. 645/2023
AS.

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI BY EMAIL/SPEEDPOST A. D

Original Application No. 645/2023

Lalit Kumar Jain Vs State of Uttar Pradesh

To

1. Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)
Building No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow - 226010
Email:ms@uppcb.in

2. District Magistrate, Baghpat
Email: dmbag@nic.in

3. Commissioner, Municipal Corporation, Baraut
Email: nppbaraut2015@gmail.com

ADM/OC(LB)/RO UPPCB

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 08.01.2024 (copy of order & petition are enclosed), when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"2. Letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to implead the following respondents and issue notice to them ;- (1). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), (2). District Magistrate, Baghpat and (3). Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat.

3. Let the notice be served upon the above respondents. Respondents are directed to file their response atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. List for further consideration on 06.03.2024."

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 06.03.2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/reponse as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 08.01.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 20th January, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

20.1.2024

Consultant (Judicial), NGT

1695/4/2023
19/7/23

सेवा में,

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (PRINCIPAL BENCH)
FARIDKOT HOUSE, COPERNICUS MARG.
NEW DELHI- 110001

विषय : बड़ौत शहर के बीच से होकर निकल रहे मीरापुर रजवाहे में नगरपालिका द्वारा डाले जा रहे गंदे नालों के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि बड़ौत के केन्द्र में एक नहर है, जो मीरापुर रजवाहे के नाम से जानी जाती है, जो बड़ौत नगर से होती हुए क्षेत्र के अनेक गॉवों में जाती है। इस नहर के जल का प्रयोग हजारों किसानों द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है।

Receipt & Issue Branch
Received
Dairy No. 3555
Signature

किन्तु अत्यन्त निन्दनीय है कि नगरपालिका परिषद बड़ौत द्वारा मीरापुर रजवाहे म अनेक स्थानों (जाट कालेज, महावीर मार्ग, मजदूर पुल नेहरू रोड व गुराना रोड) पर बड़े बड़े नाले डाले हुए है, जिनमें भारी मात्रा में गन्दगी इस सिंचाई नहर में जाती है जिससे इस नहर का पानी जहरीला हो चुका है। इस नहर का पानी इस क्षेत्र के बेसहारा गौवंश के साथ साथ अन्य छोटे पशु–पक्षी भी पीकर बीमार हो रहे है।

इस नहर में क्षेत्र में आस–पास हजारों लोग निवास तथा अनेक धार्मिक एवं शैक्षिक संस्थान है, जिससे यहॉ आमजन का भी बहुत आवागमन होता है। गन्दे नाले में परिवर्तित होने के कारण मच्छर, मख्खी का प्रकोप बना रहता है तथा संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

A.R.G.
18/7/2023

इसका प्रत्यक उत्तरदायी नगर पालिका परिषद् बड़ौत के कर्मठ अधिशासी अधिकारी श्री अनुज कुमार कौशिक जी है, जिन्हें इसके विषय में अनेक बार अवगत कराया जा चुका है किन्तु इनके द्वारा बार बार बार रटा–रटाया उत्तर "कि कार्यवाही की जायेगी" दिया जाता है।

इतना ही नही, नगरपालिका द्वारा पिछले वर्ष दिल्ली सहारनपुर रोड से लेकर जाट कालेज तक व सराय रोड से गुराना रोड तक करोड़ों रुपए की लागत से सीसी से रजवाहे की पटरी का निर्माण किया गया था, उसमें भी अवर अभियंता कामेंद्र सिंह द्वारा बड़े नाला नहीं बनाया गया। मात्र छोटी सी नाली बना दी गई और गंदे नाले वहां भी रजवाहे में ही डाल दिया गया।

इसके अतिरिक्त बिनौली रोड पर सड़क के दोनों ओर के नाले का पानी भी ग्राम लोहड़ा के पास बनी छोटी नहर में डालने हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः श्रीमान जी मेरा आपसे निवेदन है कि इन मामले को गंभीरता से विचार कर नगरपालिका के संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करते हुए इन सब नालों को रजवाहे में डलने का तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश करें, जिससे क्षेत्र के किसानों को पहुँच रहा जहरीले जल के स्थान पर स्वच्छ सिंचाई योग्य पानी प्राप्त हो सके।

धन्यवाद

प्रार्थी

ललित कुमार जैन
नेहरू रोड, निकट जैन मन्दिर,
बड़ौत (बागपत)
मो 9758312634

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

मीरापुर रजवाहे के निकट वार्डो में डोर टू डोर कूडा कलैक्शन

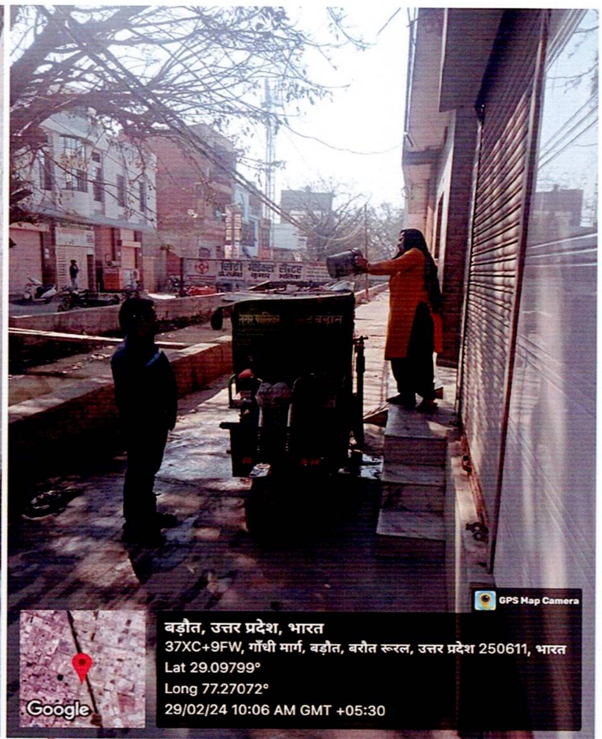

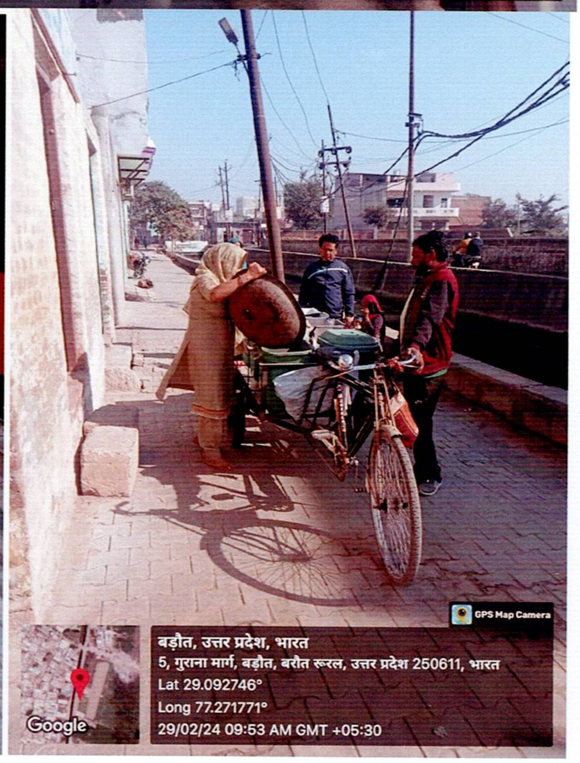

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

मीरापुर रजवाहे की सफाई करते हुए पालिका सफाई मित्र –

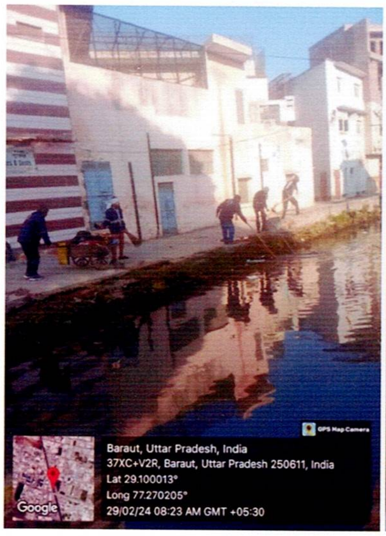

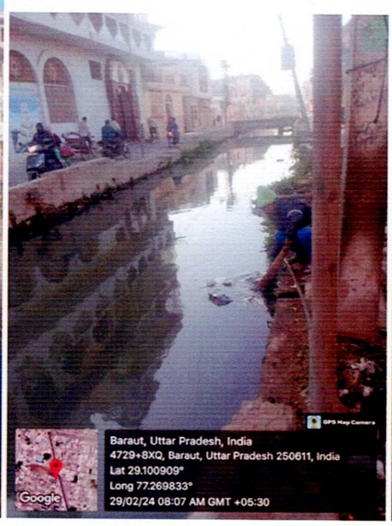

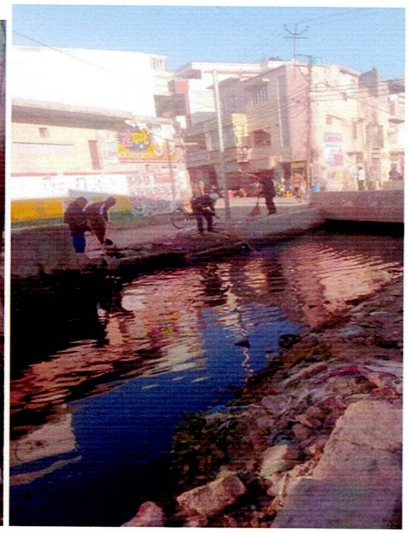

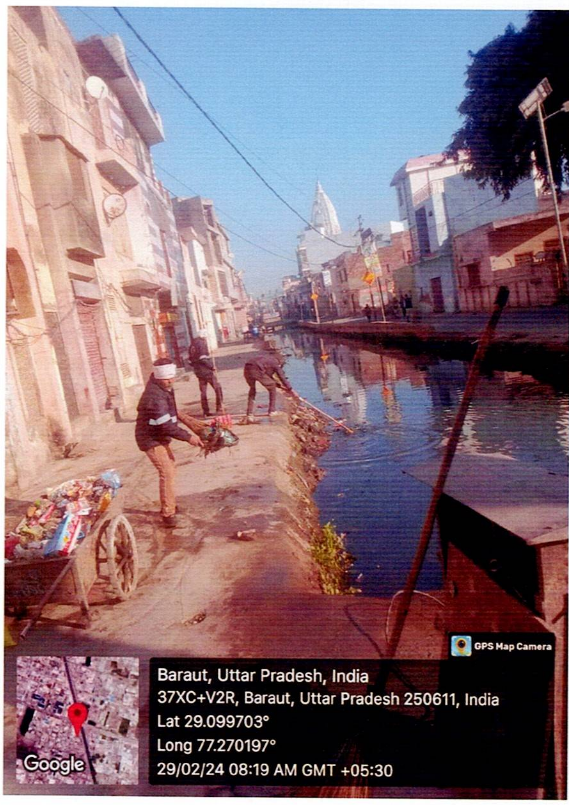

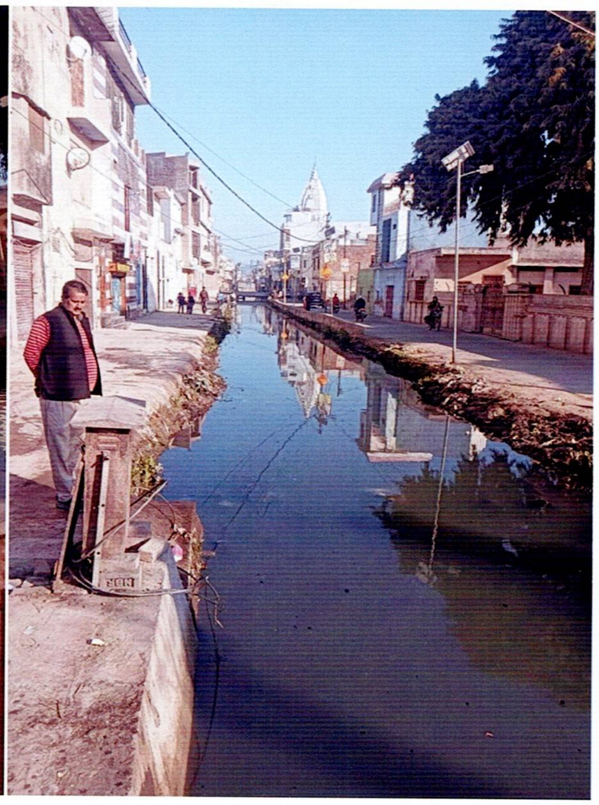

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

मीरापुर रजवाहे पर स्क्रीनिंग (जाली) का कार्य,

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

पालिका द्वारा मीरापुर रजवाहे पर बायोरेमिडियेशन कार्य

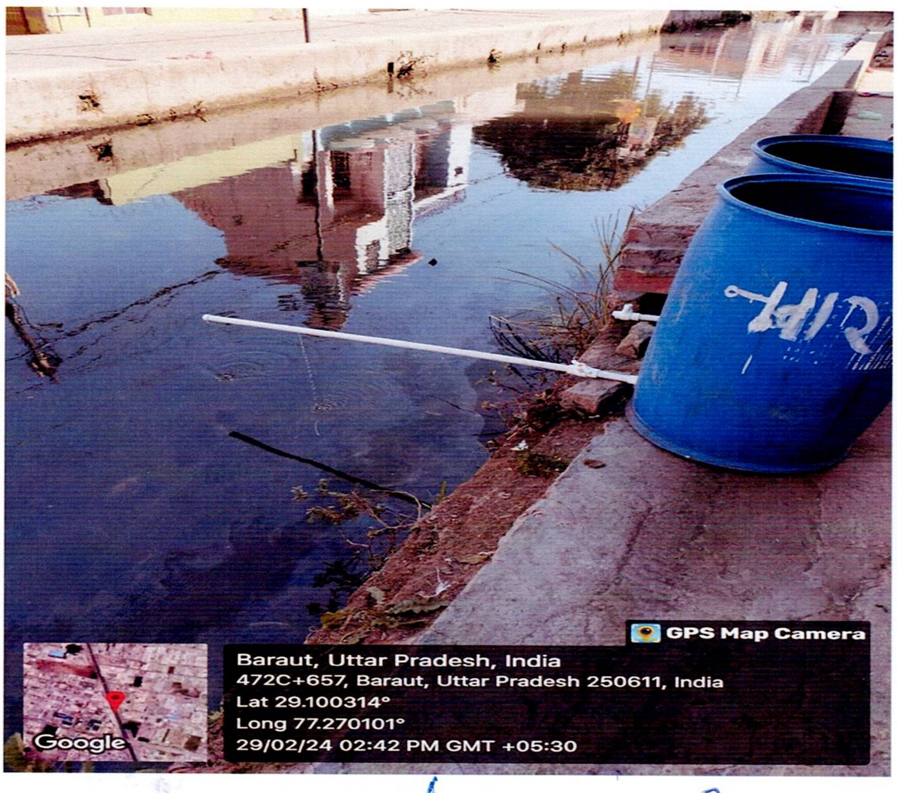

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

मीरापुर रजवाहे में कूडा–कचरा ना डालने हेतु पालिका द्वारा फ्लैक्स बोर्ड लगाये गये–

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
बड़ौत (बागपत)